तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज माधोसिंह बनाम लो.सू.अ.(अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या 264 / 2020	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.01.21	अपीलार्थी माधोसिंह पुत्र फतेहसिंह, पता 488, न्यू कोलानी बी.जे.एस. गली नं. 22, शहर, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 10.11..20 में उसके द्वारा (1) उप शासन सचिव राजस्व (भूमि रूपान्तरण) विभाग राजस्थान जयपुर की ओर से जिला कलक्टर जोधपुर प्रेषित किये गये पत्र क्रमांक एफ–2(148)राज / 3 / 87 दिनांक 29.06.1992 की प्रमाणित प्रति व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर कलक्टर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) आदिनांक तक तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई। अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) को निर्देशित किया जाता है कि संबंधित सूचना अपीलार्थी को 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा सूचना नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	